लिये नाम.स. 1413 में दर्ज खातेदारों सीताराम, ताराचंद व गांगीलाल ने राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2022 प्रस्तुत किया है तथा खसरा नम्बर 1363/567 की तरमीम शुद्धि हेतु राजस्व प्रार्थना पत्र 75/2022 प्रस्तुत किया है। बिन्दु संख्या में वर्तमान भू नक्शा के अनुसार नजरी नक्शा जो नामा.सं. 1413 की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार अंकित किया गया है। वादीगण खसरा नम्बर 1384/980 के हितधारक है जो रास्ता वादीगण के खेतों में आने जाने के लिये ही रखा गया था। अपनी सहमती से खसरा नम्बर 1384/980 की तरमीम बिन्दु संख्या 4 में अंकित में नजरी नक्शानुसार करवाना चाहते है। उक्त तरमीम शुद्ध होने से किसी खसरे के रकबे में परिवर्तन नहीं होगा। वर्तमान तरमीम में खसरा नम्बर 1384/980 की लम्बाई अधिक होने से रास्ते की चौड़ाई कम है जो बिन्दु संख्या 4 में अंकित अनुसार करने से रास्ते की चौड़ाई अधिक हो जायेगी खसरा नम्बर 1384/980 के हितधारक सहमति से उक्त तरमीम शुद्ध करवाना चाहते है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण में रास्ते की भूलवश गलत तरमीम हो जाने से रेकर्ड संधारण में त्रुटि होना प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता हैं

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। **अतः तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते है कि मौजा छापड़ा के वर्तमान खसरा नम्बर 1384/980 की तरमीम तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2022 के बिन्दु संख्या 4 में दर्शित नजरी नक्शानुसार शुद्ध किया जावे।** तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2022/1610 दिनांक 23.12.2022 निर्णय का भाग रहेगा। प्रभावित खसरान में से जिन खसरान पर डोली का नोट लगा है उक्त नोट यथावत रहेगा एवं उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।

तहसीलदार डेह को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। आदेश आज दिनांक 14/02/25 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर ... जायल

Scanned with CamScanner